छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
–:: मंत्रालय ::–
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–28/2014/सात–1 नया रायपुर दिनांक 30 AUG 2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़।

विषय :– **भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 2 के अंतर्गत लोक प्रयोजनार्थ अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन की लागत पूर्णतः या भागतः लिये जाने के संबंध में।**

संदर्भ :– इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ–8–28/सात–1/2015, दिनांक 09–12–2015 एवं क्रमांक–एफ–4–28/सात–1/2015 दिनांक 09–05–2016.

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/– सन्दर्भित पत्र द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उप–धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में यह प्रावधान है, कि भू–अर्जन की अंतिम अधिसूचना तब–तक जारी नही कीं जायेगी, जब तक अपेक्षक निकाय द्वारा भू–अर्जन के लागत की पूर्णतः या भागतः ऐसी राशि, जो शासन द्वारा निर्धारित किया जाये, जमा नहीं कर दिया जाता है।

03/– अतः राज्य शासन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत किसी लोक प्रयोजनार्थ अर्जित की जाने वाली भूमि का अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (1) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अंतिम अधिसूचना के पूर्व, उप–धारा (2) के द्वितीय परन्तुक के तहत् अपेक्षक निकाय से अनुमानित अवार्ड राशि का 10% राशि जमा कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

04/ धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण भुगतान के पश्चात् ही अर्जित भूमि का कब्जा लिया जा सकता हैं। अतः सुनिश्चित करे कि पूर्ण भुगतान होने के बाद ही अपेक्षक निकाय को भूमि का कब्जा सौंपा जाय उसके पहले कदापि नहीं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन.आर.साहू)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

O/C